भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA
वित्त मंत्रालय MINISTRY OF FINANCE
राजस्व विभाग DEPARTMENT OF REVENUE
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड
CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS
सीमा शुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमा शुल्क गृह, विलिंग्डन आईलेंड, कोचीन
CUSTOM HOUSE, WILLINGDON ISLAND, COCHIN-682009
Website: www.cochincustoms.gov.in Control Room: 0484-2666422 E-mail: cochincustoms@nic.in Fax: 0484-2668468

आज़ादी का अमृत महोत्सव

स्थायी आदेश संख्या STANDING ORDER NO:01/2023

फाईल.सं.394/02(298)/2020-Commr(INV-Cus)-भाग(1) दिनांक 28.02.2023 में डिजिट में डाटा एंट्री को पूरा करने के संबंध में जारी बोर्ड के निर्देश संख्या 07/2023-सीमा शुल्क की ओर सभी का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Kind reference is invited to Board's Instruction No.07/2023-Customs issued in F.No. 394/02 (298)/2020-Commr (INV-Cus)-Part (1) dated 28.02.2023 regarding Completion of Data Entry in the DIGIT.

2:- अधिकारियों को बोर्ड के निर्देशों के अनुसार डिजिट में डेटा दर्ज करने का निर्देश दिया जाता है। सहायक आयुक्त (एस आई आई बी) आयुक्तालय के लिए नोडल अधिकारी होंगे। डिजिट में दर्ज किए जाने वाले मामलों का विवरण इस स्थायी आदेश में दोहराया गया है।

Officers are directed to enter the data in DIGIT as detailed in the Board Instructions. Assistant Commissioner (SIIB) shall be the nodal officer for the Commissionerate. The details of cases to be entered in DIGIT is reiterated in this Standing Order.

3:- डिजिट प्रविष्टि के संबंध में निर्देश निम्नानुसार होंगे:
The instructions with regard to DIGIT entry will be as follows:

4:- डिजिट में दर्ज किए जाने वाले मामलों के प्रकार:
Types of Cases to be entered in DIGIT:

A. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के प्रावधानों के तहत एकमुश्त तस्करी (आयात के साथ-साथ निर्यात) के मामलें
Cases of Outright smuggling (imports as well as exports) covered under the provisions of the Customs Act, 1962;

B. माल के आयात या निर्यात के दौरान सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या किसी अन्य कानून के प्रावधानों के उल्लंघन या केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रोत्साहन योजनाओं के दुरुपयोग से जुड़े मामलें; और
Cases involving violation of provisions of the Customs Act, 1962 or any other law in the course of imports or exports of goods or misuse of international trade promotion schemes framed by the Central government; and

C. नारकोटिक्स ड्रग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ (एनडीपीएस) अधिनियम, 1985 के प्रावधानों के तहत मामले
Cases under the provisions of Narcotics Drugs and Psychotropic Substances (NDPS) Act, 1985

इन निर्देशों के प्रयोजन हेतु निम्न में से दो या अधिक कार्यवाहियों से जुड़े मामले को "अपराध का मामला" के अर्थ में लिया जाएगा:

An "Offence case" for the purpose of these instructions will mean a case involving two or more of the following actions:

1. **डी आर आई-1 की फाइलिंग (सूचना की रिकॉर्डिंग);**
Filing of DRI-1 (Recording of Information);
2. **डी आर आई-2 (जब्ती/जाँच संबंधी सूचना की रिपोर्ट) तैयार करना;**
Preparation of DRI-2 (Seizure/Detection Intimation Report);
3. **सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या अन्य अधिनियम (अधिनियमों) के तहत गिरफ्तारी;** Arrest under the Customs Act, 1962 or other Act(s);
4. **सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या अन्य अधिनियम (अधिनियमों) के तहत तलाशी;** Search under the Customs Act, 1962 or other Act(s);
5. **सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या अन्य अधिनियम(अधिनियमों) के तहत समन; और**
Summons under the Customs Act, 1962 or other Act(s); and
6. **सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या अन्य अधिनियम (अधिनियमों) के तहत जब्ती;**
Seizure under the Customs Act, 1962 or other Act(s);

4.1. सामान्य कार्यालयीन कार्य के दौरान सीमा शुल्क विभाग द्वारा बुक किए गए मामलों को डिजिट में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। उदाहरण के लिए, अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डों पर सीमा शुल्क अधिकारियों द्वारा दर्ज किए गए नियमित मामले जिनमें बैगेज नियमों के मामूली उल्लंघन शामिल हैं; या समुद्री बंदरगाहों, अंतर्देशीय कंटेनर डिपो (आई सी डी) और एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स (जिसके लिए स्पॉट अधिनिर्णय की आवश्यकता होती है) में मूल्यांकन समूहों द्वारा बुक किए गए मामलों और कूरियर टर्मिनलों या विदेशी डाकघरों में बुक किए गए समान मामलों को डिजिट में दर्ज करने की आवश्यकता नहीं है। इसी तरह, लेखापरीक्षा आयुक्तालयों द्वारा की गई खोज को डिजिट में दर्ज नहीं किया जाना चाहिए।

The cases booked by the Customs formation during the course of normal executive work need not be entered in DIGIT. For illustration, routine cases booked by the Customs officers on international airports involving minor violations of Baggage Rules; or the cases booked by Assessment Groups in Sea Ports, Inland Container Depots (ICDs) and the Air Cargo Complexes (which require spot adjudication) and similar cases booked in courier terminals or foreign post offices need not be entered in DIGIT. Similarly, the detections made by Audit Commissionerates should not be entered in DIGIT.

5. डिजिट में डाटा एंट्री के चरण: डिजिट में डाटा एंट्री निम्न चरणों में की जाती है:

Stages of Data Entry in DIGIT: Data entry in DIGIT is to be done at the following stages:

(I) खोज:- खोज द्वारा माल, दस्तावेजों और चीजों की जब्ती ; या लागू अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत एक बयान दर्ज करना; या सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 या किसी अन्य अधिनियम के प्रावधानों के तहत आयातक या निर्यातक या अपराध के कमीशन के उनके अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा लिखित रूप में स्व-स्वीकृतिके आधार पर अपराध की पुष्टि होती है।

Detection: — Detection connotes confirmation of an offence on the basis of seizure of goods, documents and things; or recording of a statement under the relevant provisions of the applicable Act; or self-admission in writing by the importer or exporter or their authorized signatory of commission of an offence under the provisions of Customs Act ,1962 or any other Act.

(II) गिरफ्तारी: - सीमा शुल्क अधिनियम या एन डी पी एस अधिनियम के प्रावधानों के तहत की गई सभी गिरफ्तारियों को डी आई एन के साथ, जहाँ भी लागू हो, डिजिट में दर्ज की जानी होगी हिरासत में लिए गए व्यक्ति का विवरण जैसे उसकी पहचान (आधार संख्या, पैन, पासपोर्ट संख्या, ड्राइविंग लाइसेंस या सरकारी अधिकारियों द्वारा निर्धारित किसी अन्य दस्तावेज के आधार पर),

गिरफ्तारी की जगह और तिथि, मजिस्ट्रेट के सामने पेशी की तारीख और अन्य प्रासंगिक विवरण जिनमें वे भी शामिल हैं डिजिट में हिरासत में दर्ज किया जाना चाहिए।

Arrest: — All arrests made under the provisions of the Customs Act or the NDPS Act need to be entered in DIGIT, along with DIN, wherever applicable. The details of the detenue like his identity (based on Aadhaar Number, PAN, Passport Number, Driving Licence or any other document prescribed by the government authorities), place and date of arrest, date of production before magistrate and other relevant details including those of custody should be entered in DIGIT.

(III) **जब्ती:-** जब्ती की जगह, जब्ती की मात्रा, आदि जैसे अन्य प्रासंगिक विवरणों के साथ माल, दस्तावेजों और चीजों की हर जब्ती को डिजिट में दर्ज करने की आवश्यकता है।

Seizure:- Every seizure of goods , documents and things needs to be entered in DIGIT , along with other relevant details like place of seizure, quantity of seizure, etc.

(IV) **जाँच का निष्कर्ष:.** प्रत्येक जाँच निम्नलिखित में से किसी एक माध्यम से पूरी होती है: -
Conclusion of Investigations:- Every investigation attains completion through one of the following means:-

a. **कारण बताओ नोटिस (एस सी एन) जारी करना** - प्रत्येक मामले में जारी किए गए एस सी एन के विवरण को एस सी एन मॉड्यूल के तहत डिजिट में दर्ज करने की आवश्यकता है। एस सी एन की स्कैन कॉपी भी अपलोड की जानी होगी।
Issuance of Show Cause Notice (SCN) - The details of SCN issued in each case need to be entered in DIGIT under SCN Module. A scanned copy of the SCN is also required to be uploaded.

b. **एनडीपीएस अधिनियम के तहत शिकायत दर्ज करना -** ऐसे मामलों में, जाँच के निष्कर्ष पर, सक्षम न्यायालय में शिकायत दर्ज की जाती है। एक बार शिकायत दर्ज हो जाने के बाद, उसका विवरण डिजिट में दर्ज किया जाएगा।
Filing of Complaint under NDPS Act — In such cases, on conclusion of investigations, a complaint is filed in the competent court. Once the complaint has been filed, details of the same shall be entered in DIGIT.

c. सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(2) के प्रावधानों के तहत जाँच समाप्त करना
Closure of investigations under the provisions of Section 28(2) of the Customs Act,1962

d. जहाँ आयातक या निर्यातक ने एस सी एन से छूट मांगी है वहाँ या मामले को अन्य इकाइयों में स्थानांतरित करने के मामले में, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 28(4) के प्रावधान के तहत जाँच को रोकना
Closure of investigation under the provision of Section 28(4) of the Customs Act, 1962, where the importer or the exporter has asked for waiver of SCN or in case of transfer of case to other formation.

e. **मामला साबित न होने पर:.** यह उन मामलों में होता है, जहाँ जाँच के बाद, लागू कानून के प्रावधानों के तहत कोई अपराध स्थापित नहीं किया जा सकता है।
Case not established: — This happens in those cases, where after investigation, no offence can be established under the provisions of the applicable law.

(V) **अधिनिर्णयन:** मूल आदेश (ओ आई ओ) या अधिनिर्णय आदेश जारी होने के बाद, ओ आई ओ की प्रति के साथ उसका विवरण डिजिट में दर्ज करना होगा।
Adjudication: After issue of the Order-in-Original (O-i-O) or the Adjudication order, details of the same need to be entered in DIGIT along with copy of the O- i-O.

(VI) **अभियोजन:** अभियोजन मॉड्यूल के तहत कोई केस अभियोजन के लिए उपयुक्त है या नहीं, इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी के निर्णय को भी डिजिट में दर्ज करने की आवश्यकता होगी। उन सभी मामलों में, जहाँ अभियोजन को सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है, निम्नलिखित विवरणों को भी डिजिट में दर्ज किया जाना होगा:
Prosecution: The decision of competent authority regarding whether a case is fit for

prosecution or not, also need to be entered in DIGIT under the Prosecution module. In all those cases, where prosecution is approved by the competent authority, following details also need to be entered in DIGIT:

a. स्वीकृति विवरण (स्वीकृति प्रदाता प्राधिकारी का नाम और पदनाम, और स्वीकृति की तिथि सहित की तारीख सहित);)
Sanction details (including name and designation of the sanctioning authority, and the date of sanction);

b. शिकायत का विवरण (शिकायत संख्या, न्यायालय का नाम, शिकायत की तिथि आदि सहित);
Details of Complaint (including Complaint No., Name of the Court, Date of Complaint, etc.);

c. शिकायत का परिणाम; और Outcome of Complaint; and

d. दी गई प्रतिरक्षा का विवरण (समझौता कमीशन के आदेश या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपराधों की कंपाउंडिंग सहित)
Details of Immunity granted (including through order of Settlement Commission or Compounding of offences by the Competent Authority).

6. **डेटा प्रविष्टि के लिए समय-सीमा:** डिजिट में निहित डेटा का उपयोग विभिन्न श्रेणियों के तहत रिपोर्टिंग के लिए किया जाता है, जिसमें संसदीय प्रश्नों के उत्तरों का मसौदा तैयार करना और विभिन्न आवधिक रिपोर्ट तैयार करना शामिल है। इस प्रकार डेटा की सटीकता और डिजिट में इसकी समय पर फीडिंग इसके उपयोग के लिए महत्वपूर्ण हैं। डिजिट में डेटा फीड/अपलोड करने के लिए निम्नलिखित समय-सीमा निर्धारित की गई है:

Timelines for Data Entry: The data contained in DIGIT is utilized for reporting under various categories including in drafting replies to Parliamentary Questions and to generate various periodical reports. Thus accuracy of data and its timely feeding in DIGIT are crucial for its use. Following time-limits have been prescribed for feeding/uploading data in DIGIT:

a. **मामलें की खोज का विवरण** — केस का पता चलने के **5** दिनों के भीतर; **Details of Case Detection** — within 5 days of detection of the case;

b. **गिरफ्तारी का विवरण Details of Arrest** — गिरफ्तारी के 3 दिनों के भीतर **within 3 days of date of arrest**

c. **माल, दस्तावेजों या चीजों की जब्ती का विवरण** - जब्ती के **5** दिनों के भीतर;
Details of Seizure of Goods, documents or things — within 5 days of seizure;

d. **एस सी एन अपलोड करना** – एस सी एन जारी करने की तारीख से अगले महीने के **5**वें दिन तक;
Uploading of SCN — from the date of issue of SCN till 5'h day of the following month;

e. **जाँच के निष्कर्ष को अपलोड करना** - अनुमोदन की तारीख से अगले महीने के **5**वें दिन तक सक्षम सी प्राधिकारी द्वारा जाँच को **समाप्त/पूरा** करना; **Uploading Conclusion of Investigations** — from the date of approval of **Closure/completion** of investigations by the competent authority till 5th day of the following month;

f. **अधिनिर्णय का अपलोडिंग विवरण** - ओ-आई-ओ जारी होने की तारीख से अगले महीने के **5**वें दिन तक;
Uploading details of Adjudication — from the date of issue of O-i-O till 5th day of the following month;

g. **अभियोजन की शुरूआत का विवरण अपलोड करना** - सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन की तारीख से अगले महीने के **5** वें दिन तक मुकदमा/ वाद दायर करना।
Uploading details of launch of prosecution- from the date of approval of prosecution by the competent authority/ filing of complaint till 5th day of the following month.

7. यह निर्देशित किया जाता है कि डेटा 'सटीक' और 'निर्धारित समय सीमा के भीतर' दर्ज किया जाएं ताकि उसमें बाद में किसी भी संशोधन की आवश्यकता न हो। हालांकि, डिजिट में डेटा दर्ज करते समय किसी भी त्रुटि के बारे में तुरंत नोडल अधिकारी, डिजिट को सूचित किया जाए, जो बोर्ड के निर्देशों के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करेंगे।

It is directed that data is entered 'accurately' and 'within prescribed time limits' so that no modifications are required at a later stage. However, any errors while entering data in DIGIT shall be immediately communicated to the Nodal Officer, DIGIT, who shall take the action as required in the Board Instructions.

8. उप/सहायक आयुक्त, वायु आसूचना इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि सभी बैचों के अधिकारियों के पास डिजिट का आवश्यकतानुसार एक्सेस हो। डिजिट के प्रभारी अधिकारी में होने वाले किसी भी परिवर्तन को नोडल अधिकारी को सूचित किया जाएगा।

Deputy/Assistant Commissioner, Air Intelligence Unit shall ensure that officers in all batches have the requisite access to DIGIT. Any change in the officer-in-charge of DIGIT shall be communicated to the nodal officer.

इसे आयुक्त महोदय के आदेशानुसार जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Commissioner of Customs.

राजेश्वरी आर. नायर **RAJESWARI R NAIR**
(सीमा शुल्क अपर आयुक्त ADDITIONAL COMMISSIONER OF CUSTOMS)

प्रतिलिपि Copy to: सहायक आयुक्त, कोचिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नेडुंबाश्शेरी-कोचिन
The Assistant Commissioner,
Cochin International Airport, Nedumbassery-Cochin